भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून
25 सुभाष रोड, देहरादून–248001
दूरभाष: 0135–2650809
फैक्स–0135–2653010
ईमेल- moef.ddn@gov.in

सत्यमेव जयते

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST & CLIMATE CHANGE
INTEGRATED REGIONAL OFFICE, DEHRADUN
25 SUBASH ROAD, DEHRADUN-248001
PHONE- 0135-2650809
FAX- 0135-2653010
Email- moef.ddn@gov.in

फाईल संख्या 8बी./यू.सी.पी./06/70/2021/एफ0 सी0/270 दिनांक: 30/06/2021

सेवा में,

✓ अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी
वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषयः– जनपद–रूद्रप्रयाग में मा0मु0घो0 संख्या 553/2015 के अन्तर्गत स्वीकृति क्यार्क–बरसूड़ी–भेरों बैण्ड से जमेथी तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.34 है0 वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन। **(Online No. FP/UK/ROAD/40773/2019)**

सन्दर्भः–कार्यालय–अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, उत्तराखण्ड का पत्रांक – **2706/FP/UK/ ROAD/40773/2019 दिनांक 29-04-2021**

महोदय,

उपर्युक्त प्रस्ताव पर ध्यानपूर्वक विचार करने के उपरान्त मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि प्रस्ताव में निम्नलिखित कमियां पाई गयी है। अतः राज्य सरकार निम्नलिखित बिन्दुओं पर आवश्यक सूचनायें प्रेषित करने का कष्ट करें, ताकि अग्रिम कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके:–

1. On perusal of KML file, it is noticed that village *Jamethi* is already connected with the road. State Government may justify the requirement of the road.
2. State Government may submit the path distance from the end point of already constructed *Kyark Barsudi* Motor Road to the end point of propose road.
3. Detail of the saplings is neither filled online nor submitted in the hard copy. State Government may fill the details of the saplings at para 4 in Part II.
4. Administrative approval for the construction of the proposed road has not been submitted. State Government may submit/ upload the same.
5. राज्य सरकार लाभान्वित हाने वाले ग्रामों की स्थिति KML file पर अंकित करते हुए ऑनलाईन पैरा C(ii) (b) पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।
6. राज्य सरकार से अनुरोध है कि उनके द्वारा तीन वैकल्पिक समरेखण का परीक्षण कर उनकी जानकारी प्रस्तुत की जाये तथा उन्हें के0एम0एल0 पर अंकित किया जाये।

7. समस्त डम्पिंग वन क्षेत्र में ही क्यों प्रस्तावित की गई है जबकि मार्ग में गैर–वन क्षेत्र उपल्बध है। अतः राज्य सरकार से अनुरोध है कि वह डम्पिंग हेतु गैर वन क्षेत्र का चयन करें।

यदि चाही गई सूचना पत्र जारी होने की तिथि के 60 दिनों के भीतर (अधिकतम 90 दिन) इस कार्यालय में प्राप्त नहीं हुयी तो प्रस्ताव को निरस्त किया जा सकता है।

भवदीय,

(टी0 सी0 नौटियाल)
उप महानिरीक्षक, वन (के0)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. अपर मुख्य सचिव (वन), उत्तराखण्ड शासन, सुभाष रोड़, देहरादून।

(टी0 सी0 नौटियाल)
उप महानिरीक्षक, वन (के0)